



2026:AHC-LKO:20655

उच्च न्यायालय इलाहाबाद

लखनऊ

आपराधिक विविध जमानत आवेदन संख्या - 1362 / 2026

लतीफ अंसारी

.....
आवेदक

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य माध्यम से अपर मुख्य सचिव / प्रमुख सचिव गृह विभाग

उत्तर प्रदेश लखनऊ

.....
प्रतिवादी

आवेदक के अधिवक्ता

: शाइस्ता परवीन

प्रतिवादी के अधिवक्ता

: शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 28

माननीय न्यायमूर्ति राजीव भारती

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

1. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता, राज्य के विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता को सुना तथा अभिलेख (रिकॉर्ड) में मौजूद सामग्री का अवलोकन किया।
2. यह आवेदक की ओर से दायर पहला जमानत आवेदन है, जो प्राथमिकी/वाद अपराध संख्या 171/2025, उत्तर प्रदेश गिरोहबंद और समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1986 की धारा 2(ख) (XVII) / 3, थाना- मझगई, ज़िला- खीरी में शामिल है।
3. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने दलील दी कि गिरोह सारणी (गैंग चार्ट) में आवेदक के विरुद्ध सिर्फ एक मामला दर्शाया गया है, जिसमें आवेदक को इस न्यायालय की समन्वय पीठ द्वारा दिनांक 13.05.2024 को आपराधिक विविध जमानत आवेदन संख्या 5172/2024 में पारित किए गए आदेश के तहत पहले ही जमानत दे दी गयी है। उन्होंने आगे कहा कि आवेदक का 14 मामलों का आपराधिक इतिहास है, जिसे जमानत आवेदन के समर्थन में दाखिल किए गए शपथ-पत्र के प्रस्तर संख्या 15 में ठीक से वर्णित किया गया है और ज्यादातर मामलों में आवेदक को जमानत मिल चुकी है। जमानत आदेश की प्रति अनुलग्नक संख्या 3 के तौर पर एक साथ संलग्न की गई हैं। आवेदक दिनांक 12.01.2026 से कारागार में है। उन्होंने आगे कहा कि आवेदक, उत्तर प्रदेश गिरोहबंद और समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1986 की धारा 19(4)(ख) की आवश्यक शर्तों के अनुसार वचन देने के लिए तैयार है। यह भी कहा गया है कि आवेदक के न्यायिक अभिरक्षा से भागने या साक्षियों के साथ छेड़छाड़ करने की कोई संभावना नहीं है। अगर आवेदक को जमानत पर रिहा किया जाता है, तो वह जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेगा।
4. विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता ने जमानत की प्रार्थना का विरोध करते हुए कहा कि आवेदक का 14 मामलों का आपराधिक इतिहास है, लेकिन आवेदक के विद्वान अधिवक्ता की दलीलों के मुताबिक वे ऊपर बताये गए तथ्यों पर कोई सवाल नहीं उठा सके।

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

5. इस तथ्य पर ध्यान देने के बाद कि आवेदक दिनांक 12.01.2026 से कारागार में है; आवेदक को गिरोह सारणी (गैंग चार्ट) में दर्शाए गए मामलों में जमानत पर रिहा किया गया है; गिरोह सारणी (गैंग चार्ट) में दर्शाए गए मामलों के अलावा, उसके 14 अपराधिक इतिहास के मामले हैं और ज़्यादातर मामलों में उसे जमानत मिल चुकी है, जमानत आदेश की प्रति को अनुलग्नक संख्या 3 के तौर पर एक साथ संलग्न किया गया है, मामले के गुण-दोष पर कोई राय दिए बिना, मुझे लगता है कि यह आवेदक को जमानत पर रिहा करने के लिए यह एक उपयुक्त मामला है।
6. तदनुसार, जमानत आवेदन **स्वीकृत** की जाती है।
7. आवेदक- लतीफ अंसारी, जो ऊपर बताए गए वाद अपराध संख्या में शामिल है, को संबंधित न्यायालय की संतुष्टि हेतु एक स्वीय बंधपत्र तथा समान राशि के दो प्रतिभुओं को देने पर जमानत पर रिहा किया जाये, न्याय के हित में निम्नलिखित शर्तों के साथ :-
- (i) आवेदक, विचारण (ट्रायल) के दौरान साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ नहीं करेगा।
 - (ii) आवेदक, अभियोजन साक्षी पर दबाव नहीं डालेगा/डराया नहीं करेगा।
 - (iii) आवेदक, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से; मामले के तथ्यों से परिचित किसी भी व्यक्ति को कोई लालच, धमकी नहीं देगा या वादा नहीं करेगा, जिससे वह न्यायालय या किसी पुलिस अधिकारी को ऐसे तथ्य बताने से स्वयं को रोक ले या साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ नहीं करेगा।
 - (iv) आवेदक को यह वचन देना होगा कि जब साक्षी न्यायालय में मौजूद हों, तो वह साक्ष्य हेतु तय दिनांकों पर कोई स्थगन की मांग नहीं करेगा। इस शर्त को न मानने पर, विचारण न्यायालय इसे जमानत की स्वतंत्रता का गलत प्रयोग मानकर विधि के अनुसार आदेश दे सकता है।

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

- (v) आवेदक को उत्तर प्रदेश गिरोहबंद और समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1986 की धारा 19(4)(ख) के अंतर्गत एक वचन भी दाखिल करना होगा कि वह किसी भी मामले में शामिल नहीं होगा या जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेगा।
- (vi) आवेदक को तय की गई हर तारीख पर विचारण न्यायालय के समक्ष स्वयं या अपने अधिवक्ता के माध्यम से उपस्थित रहना होगा। अगर वह बिना किसी सही वजह के अनुपस्थित रहता है, तो विचारण न्यायालय विधि के अनुसार उसके विरुद्ध कार्रवाई कर सकता है।
- (vii) अगर आवेदक विचारण के दौरान जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग करता है और उसकी उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 84 के अंतर्गत उद्घोषणा जारी की जाती है और आवेदक ऐसी उद्घोषणा में तय दिनांक को न्यायालय के समक्ष उपस्थिति नहीं होता है, तो विचारण न्यायालय उसके विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता की धारा 209 के अंतर्गत विधि के अनुसार कार्रवाई शुरू करेगा।
8. यह स्पष्ट किया जाता है कि इस आदेश में की गई टिप्पणियां सिर्फ मौजूदा जमानत आवेदन तक ही सीमित हैं तथा विचारण (ट्रायल) के गुण-दोष पर इसका कोई असर नहीं रहेगा।

23 मार्च, 2026

(न्यायमूर्ति राजीव भारती)

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।